पत्र सं०–एम–4–01/2016–371/वि०

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

डॉ० एस० सिद्धार्थ,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी कार्यालय प्रधान,
सभी जिला लेखा पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 19-01-2022

विषयः– **बजट प्रावधान के अधीन उपबंधित राशि को एक कोषागार अन्तर्गत एक पी०एल० खाते से दूसरे पी०एल० खाते एवं एक कोषागार के पी०एल० खाते से दूसरे कोषागार के पी०एल० खाते में आवश्यकतानुसार राशि अंतरण के संबंध में।**

प्रसंगः– **वित्त विभागीय दिशा–निर्देश 1746 दिनांक 18.02.2019**

महाशय,

CFMS व्यवस्था अन्तर्गत एक कोषागार के पी०एल० खाते से दूसरे कोषागार के पी०एल० खाते में राशि अंतरण की व्यवस्था प्रक्रियाधीन होने के कारण उपर्युक्त विषय प्रासंगिक वित्त विभागीय दिशा–निर्देश द्वारा एक कोषागार के पी०एल० खाते से आवश्यकतानुसार राशि की निकासी कर बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से दूसरे कोषागार के पी०एल० खाते में नियमानुसार राशि जमा कर अंतरित करने की अंतरिम व्यवस्था पूर्व में दी गयी थी।

इस संबंध में अवगत होना चाहेंगे कि वर्त्तमान में CFMS व्यवस्था अन्तर्गत अन्तर्गत एक कोषागार के पी०एल० खाते से दूसरे कोषागार के पी०एल० खाते में राशि अंतरण करने की व्यवस्था स्थापित कर दी गयी है। इस कारण एक कोषागार के पी०एल० खाते से राशि की निकासी कर बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से दूसरे कोषागार के पी०एल० खाते में जमा करने का कोई औचित्य वर्त्तमान में नहीं रहा। साथ–ही–साथ एक ही कोषागार स्थित एक पी०एल० खाते से दूसरे पी०एल० खाते में राशि अंतरण की व्यवस्था पूर्व से ही CFMS में निर्धारित है।

तदनुसार अनुरोध है कि एक कोषागार स्थिति अलग–अलग पी०एल० खाते में तथा एक कोषागार से दूसरे कोषागार स्थित पी०एल० खाते में आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार राशि का अंतरण सीधे पी०एल० खाते से पी०एल० खाते में ही किया जाए। इस हेतु उक्त वित्त विभागीय दिशा–निर्देश, जो वर्त्तमान में अप्रासंगिक हो चूके हैं, को निरस्त समझा जाए।

विश्वासभाजन
19/1/2022
(डॉ० एस० सिद्धार्थ)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः–एम–4–01/2016–371/वि० पटना, दिनांक– 19-01-2022

प्रतिलिपिः–माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः–एम–4–01/2016–371/वि० पटना, दिनांक– 19-01-2022

प्रतिलिपिः–श्री संजीव मित्तल, उप सचिव–सह–बजट पदाधिकारी/श्री आलोक कुमार, उपायुक्त (वित्तीय प्रशासन), प्रभारी CFMS, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

19/1/2022

अपर मुख्य सचिव